

मध्यप्रदेश शासन  
चिकित्सा शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक : एफ 1-17/2018/55-2

भोपाल, दिनांक 04 अक्टूबर, 2018

प्रति,

✓ आयुक्त,

चिकित्सा शिक्षा,

मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल

विषय :- सतना जिले में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना।

सन्दर्भ :- संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा की टीप क्रमांक 516/Com./ME/2018.  
दि. 26 मार्च, 2018.


राज्य शासन एतद् द्वारा सतना में नवीन शासकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए राशि रुपये 550.00 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

- (१) प्रथम चरण में रुपये 300 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज भवन एवं परिसर का निर्माण कराया जाए।
- (२) परियोजना के प्रथम चरण का निर्माण पूर्ण करने के पश्चात द्वितीय चरण में रुपये 250 करोड़ की लागत का अस्पताल भवन एवं परिसर का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए वित्त विभाग की पूर्व सहमति के पश्चात किया जाए।

2/- यह स्वीकृति मंत्रि-परिषद् आदेश आयटम क्रमांक 73 दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 में लिए गए निर्णय के अनुक्रम में जारी की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

  
(शर्मिला ठाकुर)

अवर सचिव


मध्यप्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा विभाग

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश
आवक क्रमांक 4319
दिनांक 5.10.18
शाखा का नाम
रिमांक
कार्या.अ.सं.

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर। (आदेश की दो प्रतियाँ संलग्न हैं)।
  2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल
  3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, भोपाल।
  4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग।
  5. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
  6. संभागीय आयुक्त, रीवा संभाग रीवा, मध्यप्रदेश।
  7. आयुक्त, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश, भोपाल।
  8. परियोजना संचालक, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, निर्माण भवन, भोपाल।
  9. अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, सतना, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल

  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा विभाग

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा  
मध्यप्रदेश


[E-Mail-dmel2001@yahoo.com](mailto:E-Mail-dmel2001@yahoo.com)

क्रमांक 317/योवि/2/2018

भोपाल दिनांक 05/10/2018

प्रतिलिपि:-उल्लेखित निर्देशानुसार कार्यवाही कर समस्त संबंधितों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर जानकारी उपलब्ध कराने बावत्।

1. परियोजना संचालक, लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू. भोपाल, (म0प्र0)।
2. अधिष्ठाता नवीन चिकित्सा महाविद्यालय छतरपुर/शिवपुरी/सिवनी/सतना।
3. संयुक्त संचालक (वित्त) स्थानीय कार्यालय भोपाल।
4. विभागीय पोर्टल आई.टी.।

  
संचालक चिकित्सा शिक्षा  
मध्य प्रदेश